प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 05.10.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दिनांक 04.10.20 को हुई हत्या का अनावरण व अभियुक्त यश गुप्ता मय आलाकत्ल गिरफ्तार

दिनांक 04/10/20 को डायल 112 पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कि एक युवक कुष्ठ रोग अस्पताल के मैदान में झाड़ियों में घायल अवस्था में पड़ा है, सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति की शिनाख्त का प्रयास करते हुए ऐंबुलेंस मंगवाई एवं स्थानीय पुलिस को सूचना दिया, मौके पर आनन्द सक्सेना नि0 बहादुरनगर थाना कोतवाली सदर ने युवक की शिनाख्त अपने पुत्र उत्कर्ष सक्सेना के रूप में की जिसको जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा उत्कर्ष को मृत घोषित कर दिया गया। श्री आनन्द सक्सेना पुत्र स्व0 श्री महेश चन्द्र सक्सेना की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1109/20 धारा 302/120बी भादवि0 पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना कोतवाली सदर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त यश गुप्ता उर्फ तनु पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता नि0 संकटा देवी को लालपुर बैरियर से आज दिनांक 05.10.20 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर आला कत्ल 315 बोर तमंचा एवं 01 खोखा कारतूस अभियुक्त के घर से बरामद हुआ है। अब तक की गई विवेचना में हत्या का कारण, दोनों दोस्तों के बीच संयुक्त रूप से खरीदे गए मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर मनमुटाव था जिसके चलते मृतक उत्कर्ष द्वारा अभियुक्त यश पर दबाव बनाया जा रहा था और उसके साथ घटना के दिन की मृतक उत्कर्ष द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया था। जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त यश गुप्ता द्वारा गोली मारकर उत्कर्ष की हत्या कर दी गयी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 10000/-(दस हजार रूपए) का नकद पुरस्कार दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

यश गुप्ता उर्फ तनु पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता नि0 संकटा देवी थाना कोतवाली सदर खीरी

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह (थाना कोतवाली सदर)
2. उ0नि0 रामसमुझ सरोज (प्रभारी चौकी मिश्राना)
3. उ0नि0 अनिल सिंह (प्रभारी स्वाट टीम)
4. का0 शराफत (स्वाट टीम)
5. का0 विक्रान्त (स्वाट टीम)
6. का0 अजीत (स्वाट टीम)

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान दि0 04.10.20 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तो 1. वीरेन्द्र पुत्र राजकुमार 2. सुरेश पुत्र बाबूराम नि0गण बेहजम थाना नीमगांव खीरी 3. अनुज कुमार 4. रजनीश पुत्र गण बाबूराम नि0गण ग्राम अनवर नगर मजरा बेहजम थाना नीमगांव खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 620 रु0 नकद, 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/20 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 418/20 धारा 363/376/342 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त भगवानी पुत्र संभु को किया गया गिरफ्तार

प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे वाछित अपराधियो की गिरफ्तारी अभियान व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल निर्देशन मे थाना ईसानगर पुलिस द्वारा दिनांक 05.10/2020 को मु0अ0सं0 418/20 धारा 363/376/342 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना ईसानगर मे वाछित अभियुक्त भगवानी पुत्र शंभू निवासी सुजई पंण्डित का पुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.भगवानी पुत्र शंभू निवासी सुजई पंण्डित का पुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री परितोष पाण्डेय
2. का0 विशेष यादव
3. का0 अशोक कुमार

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त कुतबुद्दीन पुत्र लियाकत अली को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधिक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना ईसानगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 05-10-20 को अभियुक्त कुतबुद्दीन पुत्र लियाकत अली निवासी ग्राम काजीपुर मजरा रायपुर थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 485/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>240 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 02 शराब भट्ठी बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार</u>** किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	**थाना हैदराबाद**	100 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार
2	**थाना धौरारा**	80 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	**थाना भीरा**	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	**थाना फूलबेहड**	10 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	**थाना नीमगांव**	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	**थाना मैगलगंज**	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	**थाना गोला**	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	240 लीटर	15 अभियुक्त गिरफ्तार